ई–मेल

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

जलेसर रोड, दौलतपुर, फिरोजाबाद

https://www.asmcfirozabad.edu.in E-mail- gmcfirozabad@gmail.com

संख्या– एफजैडडी/2020/ दिनांक–07 जुलाई, 2020

सूचना

कोविड रोगियो की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि की संभावना के दृष्टिगत् स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, फिरोजाबाद में मानक के अनुसार अतिरिक्त मानव संसाधन, स्टाफ–नर्स, वार्ड–ब्वॉय, सफाई–कर्मी, तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु E.O.I. (Expression of Interest) के आधार पर इच्छुक प्रतिष्ठित/ख्यातिलब्ध आपूर्ति कर्ता बाह्य सेवा प्रदाता फर्मो को **इम्पैनल करने** हेतु इस कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या एफजैडी/2020/1156 दिनांक 07.07.2020 के द्वारा **आवश्यक सूचना** जारी की गयी है, जिसकी अन्तिम तिथि 16.07.2020 है। इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एवं प्रपत्र महाविद्यालय की अधिकृत वेवसाइट https://www.asmcfirozabad.edu.in पर प्रदर्शित है।

प्रधानाचार्या
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
फिरोजाबाद।

संख्या– एफजैडडी/2020/1161 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा–3, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
3. जिलाधिकारी, जनपद फिरोजाबाद।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रभारी अधिकारी, वेवसाइट को इस निर्देश के साथ उक्त सूचना एवं प्रपत्र चिकित्सा महाविद्यालय की वेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रधानाचार्या
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
फिरोजाबाद।

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

जलेसर रोड, दौलतपुर, फिरोजाबाद

https://www.asmcfirozabad.edu.in E-mail- gmcfirozabad@gmail.com

संख्या– एफजैडडी / 2020 / 1153 दिनांक–07 जुलाई, 2020

आवश्यक सूचना

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एव प्रशिक्षण, लखनऊ के पत्र सं0–एम0ई0–1 / 2020 / 2026, दिनांक–17.06.2020 के तारत्मय में निकट भविष्य में कोविड रोगियो की संख्या में तीव्र गति से वृध्दि से दृष्टिगत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, फिरोजाबाद (लेवल–3) में मानक के अनुसार अतिरिक्त मानव संसाधन, स्टाफ–नर्स, वार्ड–ब्वॉय, सफाई–कर्मी, डायलिसिस टैक्नीशियन / वेन्टीलेटर टैक्नीशियन / प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु E.O.I. (Expression of Interest) के आधार पर टेण्डर इम्पैनल करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक निविदादाता / फर्म / टेण्डर जो उपरोक्त श्रेणी के मैन पावर की आपूर्ति करने के इच्छुक है। वे अपने प्रस्ताव दिनांक 16.07.2020 तक पंजीकृत डाक द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित कर सकते है। आपूर्ति किये जाने हेतु वाले मैन पावर की संख्या, मरीजों की संख्या / आवश्यकतानुसार निर्धारित की जायेगी। नियम व शर्ते कालेज के बेवसाइट – www.asmcfirozabad.edu.in पर उपलब्ध है।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
फिरोजाबाद।

पत्रांक व दिनांक तद्
पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।
5. निविदा सैल, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद को इस आशय के साथ अग्रिम कार्यवाहीं करना सुनिश्चित की जाए।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
फिरोजाबाद।

कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।

प्रपत्र

1. आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम : ....
2. पत्र व्यवहार का पता : ....

....

....

क.सं.	चैक लिस्ट	संलग्न है/नहीं है
1	आपूर्तिकर्ता फर्म को अनुबन्ध के लिए धरोहर/जमानत राशि रू0 1.00 लाख का एफ0डी0आर0 प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के पक्ष में बंधक हो, कार्यालय में जमा करानी होगी।	
2	आयकर पंजीयन (पेन नम्बर)।	
3	जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन।	
4	आधार कार्ड की छायाप्रति।	
5	राजकीय मेडिकल कालेज अथवा जिला चिकित्सालय में मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र।	
6	चरित्र प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा जारी।	
7	आपूर्तिकर्ता फर्म के विरुद्ध किसी भी न्यायालय आदि में कोई वाद (केस) दर्ज पंजीकृत नहीं है एवं काली सूची (Black Listed) में दर्ज न होने का नोटरी शपथ पत्र।	

दिनांक—

आपूर्तिकर्ता फर्म के हस्ताक्षर
(नाम व मुहर)
पत्र व्यवहार का पूरा पता —
मोबाइल नम्बर—

कार्यालय प्रधानाचार्यः स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।

सामान्य/ आवश्यक शर्ते

1. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एव प्रशिक्षण, लखनऊ के पत्र सं0–एम0ई0–1/2020/2026, दिनांक–17.06.2020 के तारत्मय में निकट भविष्य में कोविड रोगियो की संख्या में तीव्र गति से बढने की प्रबल सम्भावना के दृष्टिगत अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता के दृष्टिगत्, इस कार्यालय द्वारा निर्गत विज्ञप्ति आवश्यक सूचना संख्या एफजैडडी/2020/1156 दिनांक 07.07.2020 के कम में निम्नवत् सामान्य/आवश्यक शर्तो के अधीन प्रतिष्ठित/ख्याति प्राप्त फर्मो से प्राप्त किये जाने हेतु निर्देश निम्नवत् है।
2. आपूर्तिकर्ता फर्म को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा समय–समय पर जारी दिषा–निर्देष का पालन करना होगा।
3. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा तैनात किये जाने वाले मानव संसाधन को एन0एच0एम0 दर पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा। यह स्टाफ नर्स हेतु रू0 16373/– प्रतिमाह एवं वार्ड ब्वॉय हेतु रू0 8374/– प्रतिमाह, सफाईकर्मी हेतु रू0 7613/– प्रतिमाह तथा डायलिसिस टेक्नीशियन/वेन्टीलेटर टेक्नीशीयन/प्रशिक्षित मानव संसाधन हेतु 16376/– प्रतिमाह की दर से होगी।
4. आपूर्तिकर्ता फर्म को किसी राजकीय मेडिकल कालेज या जिला चिकित्सालय में मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. आपूर्तिकर्ता फर्म को चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार शार्ट नोटिस पर मैनपावर उपलब्ध करानी होगी।
6. आपूर्तिकर्ता फर्म को अनुबन्ध के लिए धरोहर/जमानत राशि रू0 1.00 लाख (एक लाख रुपये) का एफ0डी0आर0 प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के पक्ष में बंधक हो, कार्यालय में जमा करानी होगी।
7. आपूर्तिकर्ता फर्म आपूर्ति किये गये मैन पावर से सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें (ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 आदि समस्त कटौती) आदि स्वयं निर्वहन करनी होगी एवं स्वयं नियमानुसार कर्मचारियों के खाते में जमा करवायेगा।
8. आपूर्तिकर्ता फर्म का ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसके साक्ष्य प्रस्ताव में प्रस्तुत करना होगा।
9. आपूर्ति कर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये मैन पावर से सम्बन्धित चरित्र सत्यापन/प्रषिक्षु अर्हता/शैक्षिक योग्यता आदि प्रमाण पत्रों का स्वयं सत्यापन करना होगा, यदि किसी प्रकार की कोई कूटरचित दस्तावेज या कोई कर्मचारी आपराधिक प्रवृत्ति का पाया जाता है या कियी प्रकार का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो आपूर्तिकर्ता फर्म के विरुद्ध उचित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपूर्तिकर्ता फर्म का होगा।
10. आपूर्तिकर्ता फर्म के ब्लैक लिस्टेड न होने के शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. आपूर्तिकर्ता फर्म कार्य किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को स्थानातंरित नहीं कर सकेगा।
12. मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित/न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक अथवा आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी या इस सम्बन्ध में अन्य किसी अन्य माध्यम से विभाग को सूचना प्राप्त होती है कि निविददाता का कोई मामला मा0 न्यायालय में विचाराधीन है या निविदादाता का कोई आपराधिक रिकार्ड है तो तत्काल निविदादाता की निविदा/अनुबन्ध को निरस्त कर विभागीय कार्यवाही कर दी जायेगी।
13. कोई भी फर्म जो स्टेट बार काउंसलिग में पंजीकृत हो, उसे निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं प्रदान होगी।
14. ऐसी फर्म जो किसी शासकीय/स्वशासी संस्था द्वारा वांछित हो/काली सूची में डाल दी गयी हो अथवा काली सूची में डालने की कार्यवाही लम्बित हो, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी।
15. निविदादाता को आपूर्तिकर्ता फर्म के सापेक्ष कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। आपूर्ति/फर्म का देयक तीन प्रतियों में देना होगा जिसे यथा--शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा, बशर्ते उपलब्ध हो। भुगतान व विलम्ब के कारण निविदादाता आपूर्ति/कार्य को नहीं रोकेगा। यदि ऐसा करेगा तो यहीं अनुबन्ध का उल्लंघन माना जायेगा। इसके साथ ही भुगतान में विलम्ब के कारण निविदादाता आपूर्ति/फर्म को नहीं रोकेगा। यदि ऐसा करेगा तो उसे अनुबन्ध का उल्लंघन माना जायेगा। इसके साथ ही भुगतान के विलम्ब की स्थिति में किसी भी प्रकार के ब्याज की मांग आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा नहीं की जायेगी।
16. विवाद की स्थिति में अग्रिम निर्णय अधोहस्ताक्षरी का होगा, जो सभी को मान्य होगा। न्यायाधिकार क्षेत्र फिरोजाबाद न्यायालय होगा।
17. अधोहस्ताक्षरी को उक्त आवश्यक सूचना के कम में कृत कार्यवाही को किसी भी समय निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

....